

निःशुल्क



झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

केन्द्र का नाम.....



“प्रशिक्षण कार्यक्रम” में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

जिला खादी एवं ग्रामोद्योग पदाधिकारी/प्रबंधक,
झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

फोटो

विषय : प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, द्वारा संचालित केन्द्र के माध्यम से ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मैं अपनी निम्न जानकारी प्रस्तुत करते हुए आवेदन कर रहा / रही हूं।

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम
 2. पिता / पति का नाम
 3. शैक्षणिक योग्यता
 4. जन्म तिथि
 5. उम्र
 6. जाति
 7. स्थायी ग्राम
- आधार संख्या
- मोबाइल नं.
- पो.

थाना जिला

राज्य

8. बैंक खाता की विवरणी (Updated)

खाताधारी का नाम अंग्रेजी में (Capital Letter)

खाता संख्या

IFSC Code

बैंक का नाम

बैंक शाखा का नाम

टिप्पणी – शैक्षणिक योग्यता/जाति (सामान्य का छोड़कर)/आवासीय प्रमाण-पत्र (मतदान पहचान पत्र या पारिवारिक राशन कार्ड या बैंक अथवा डाकघर का पास बुक या इर्फानिंग लाइसेंस या आवासीय प्रमाण पत्र या आधार कार्ड) विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट: आवेदन पत्र में त्रुटि पाये जाने पर आवेदन पत्र को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात प्रशिक्षणार्थी को 01 (एक) वर्ष अनिवार्यरूप से झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के केन्द्रों में उत्पादन कार्य करना होगा।

सुश्री/श्रीमती/श्री ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए अनुशंसा की जाती है।

केन्द्र प्रभारी/प्रबंधक

झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड